www.cbi.gov.in

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 29.05.2017

सी.बी.आई. ने तीन मामले एवं एक प्राथमिक जॉंच दर्ज किया

सी.बी.आई. ने वर्ष 2012 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 25545 (सेन्टर फॉर पब्लिक इन्टरेस्ट लेटिगेशन बनाम भारत के संघ एवं अन्यों) में दिनांक 05.01.2017 को जारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में आज तीन मामलें (एफ.आई.आर.) एवं एक प्राथमिक जॉंच दर्ज किया। इस विशेष अनुमति याचिका में, पंजीकृत एफ.आई.आर./ पी.ई. में वर्णित मुद्दों से सम्बन्धित सी.ए.जी. द्वारा किए गए निरीक्षण, परिवहन पर्यटन व संस्कृति पर संसदीय समिति की दिनांक 21.01.2010 की रिपोर्ट एवं सार्वजनिक उपक्रम पर संसदीय समिति की दिनांक 12.03.2010 की रिपोर्ट को बड़े पैमाने पर उद्घृत किया गया है।

पहला मामला, विदेशी विमान निर्माताओं को लाभ पहुँचाने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रू. कीमत की राष्ट्रीय विमान सेवाओं हेतु 111 विमानों की खरीद से सम्बन्धित आरोपोंकी जॉंच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (भारत सरकार) एवं एयर इण्डिया के अज्ञात कर्मियों व अज्ञात प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1)(डी) के तहत दर्ज किया। इस तरह की खरीद ने पहले से ही घाटे में चल रहे राष्ट्रीय वाहकों (Carriers) को कथित वित्तीय हानि पहुँचाई।

दुसरा मामला, उचित विचार विमर्श, उचित मार्ग अध्ययन एवं विपणन या मूल्य नीति के बिना बड़े पैमाने पर विमानों को पट्टे पर देने के आरोपों की जॉंच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (भारत सरकार), एन.ए.सी.आई. एल व एयर इण्डिया के अज्ञात कर्मियों एंव प्राइवेट कम्पनियों और अन्य अज्ञातों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1)(डी) के तहत दर्ज किया। ऐसा भी आरोप था कि विमानों को पट्टे पर दिया गया जबकि विमान के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी थी।

तीसरा मामला, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्राइवेट विमान सेवाओं के पक्ष में एयर इण्डिया को लाभ देने वाले मार्गों एवं लाभ देने वाली समय सारणी को छोड़ने के कारण हुए राष्ट्रीय वाहकों (Carriers) को हुई हानि के आरोपों की जाँच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (भारत सरकार), एन.ए.सी.आई.एल. व एयर इण्डिया के अज्ञात कर्मियों एंव अन्य अज्ञात प्राइवेट व्यक्तियों तथा कम्पनियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1)(डी) के तहत दर्ज हुआ।

दो राष्ट्रीय वाहकों (Carriers) : एयर इण्डिया एवं इण्डियन एयर लाइन्स के विलय से हुए राष्ट्रीय खजाने को हानि के मुद्दे से सम्बन्धित आरोपों की जाँच पड़ताल करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (भारत सरकार) के अज्ञात कर्मियों एवं अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भी एक प्राथमिक जाँच दर्ज हुई।

आगे की जांच जारी है।